Seventeenth Loksabha

an>

Regarding loss to farmers due to localised disaster

श्री बृजेन्द्र सिंह (हिसार): सभापति महोदय, आपने मुझे लोक महत्व के एक मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

सभापति जी, हरियाणा मुख्यत: कृषि में दो फसलों 'व्हीट और पेडी' पर आधारित है। हरियाणा एक सेमी एरिड रीजन है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर धान की काफी मात्रा में फसल होती है। हरियाणा में करीब दो तिहाई धान है। उसका कारण कैनल सिस्टम रहा है तथा बिजली की जो व्यवस्था की गई, वह रही है, जिसके माध्यम से ट्यूब वैल्स का प्रयोग हुआ और इसी वजह से हमारी हरित क्रांति भी कामयाब रही।

सभापति जी, वर्ष 2019 में 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना' में तरमीम की गई, जिसकी नोटिफिकेशन हरियाणा सरकार ने की थी। इसके तहत जो स्थानीय आपदाएं होती हैं, उनमें से धान और गन्ने को अधिक जल भराव के कारण हुए नुकसान से निकाल दिया गया। मैं इसके संबंध में नोटिफिकेशन का एक हिस्सा पढ़ना चाहूंगा।

"Localised calamities: Loss/damage to the notified insured crops resulting from occurrence of identified localised risks of hailstorm, inundation, cloud burst, and lightning affecting isolated farms in the notified area."

यहां पर यह इंपोर्टेंट पार्ट है, जिसे मैं अब पढ़ूंगा।

"Inundation is not applicable in case of hydrophilic crops like paddy and sugarcane as per the notification 25.5.9.1(2) of the revised operational guidelines of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana."

सभापति जी, इसमें कोई शक नहीं है कि धान की जो फसल है, उसमें मॉइस्चर की निरंतर आवश्यकता रहती है, लेकिन अगर किसी कारणवश पानी की अधिकता हो जाती है तो फसल खराब होने की उतनी ही संभावना रहती है, जितनी कि किसी और क्रॉप में होती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वर्ष 2019 से पहले जो व्यवस्था थी, जिसमें स्थानीय आपदा के रूप में पानी की अधिकता के कारण फसल का खराब होना भी था और उसके मुआवजे में धान और गन्ना शामिल थे। कल हमारे वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि महताब जी ने भी शून्य काल में यह विषय उठाया था।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए या फिर इसे वापस ले लिया जाए या फिर इसमें किसी तरह की लिमिट सेट की जाए, कोई क्राइटेरिया बनाया जाए, जिसके आधार पर किसान को राहत मिल सके और वह इंश्योरेंस का क्लेम ले सके।